न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या :32/2021

मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ दत्तक पुत्र भूरालाल जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां

.....प्रार्थी

बनाम

01. कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ दत्तक पुत्र किशन जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल हाल निवास मकान नं0 136 बी. आर. के. पुरम कोटा जिला कोटा
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0 टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री धमेन्द्र सिंह चौधरी एवं श्री हरिओम यादव

दायरा दिनांकः 30.07.2021 निर्णय दिनांक : 29.09.2022

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जमाबन्दी सं. 2069 से 72 अनुसार वाके माल रामपुरिया बडोद पटवार मण्डल तिसाया तहसील मांगरोल की खाता संख्या नया 81 पुराना 78 की आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 206 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 221 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम बतोर खातेदार कृषक अंकित थी। उक्त आराजी ही वाद/आवेदन की विषयवस्तु है। जिसे आगे विवादित भूमि के नाम सम्बोन्धित किया गया है। यह कि उक्त वर्णित विवादित आराजियात पर अप्रार्थी कम 1 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92 व 188 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया था। जो प्रकरण संख्या 78/2018 पर दर्ज कर दिनांक 21.12.2018 को प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये निर्णय व डिक्री जारी फरमादी एवं अप्रार्थी कम 1 ने उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में विवादित आराजियात पर जर्ये पी.डी.आर. स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में आलेखित करवा लिया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरतनीय है। यह कि प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2018 की अपील प्रार्थी द्वारा श्रीमान आर.ए.ए. कोटा केम्प बारां के समक्ष पेश की गयी थी, जिसे 74/2020 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 19.01.2021 को निर्णीत कर दिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार श्रीमान निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2018 को अपास्त कर प्रकरण मे सभी पक्षकारान को उचित सुनवायी व साक्ष्य का अवसर देकर समस्त रिकार्ड का अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये है। इस कारण अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2018 की पालना में खोला गया नामान्तरण जर्ये पी.डी.आर. स्वतः ही शून्य एवं अप्रभावी है। यह कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी कम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो जाने का लाभ प्राप्त करते हुये अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी को खुर्द बुर्द

Scanned by CamScanner

व बेचान करने पर व रहन रखकर के.सी.सी. बनाने पर आमादा है एवं दीगर व्यक्तियों से उक्त आराजी पर खरीद फरोख्त करने एवं रहन रखने हेतू तत्पर है एवं बातचीत कर रहा है। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने दिनांक 06.04.2021 को अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से मना किया तो अप्रार्थी ने धमकी दी कि वह उक्त विवादित आराजी को रहन, बय व खुर्द बुर्द करके रहेगा तथा प्रार्थी को उक्त आराजी पर काश्त नही करने देगा। जो कोई भी उसके आगे आयेगा, उसे जान से मार देगा। जिसका अप्रार्थी कम 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है तथा अप्रार्थी कम 2 राजस्व रिकार्ड को मेन्टेन करने के लिए दायित्वधीन है, जो प्रार्थी के निवेदन करने के पश्चात भी व सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराने के बाद भी विवादित संपत्ति पर प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करने हेतू स्पष्ट इन्कार कर चुके है। ऐसी स्थिति में अविलम्ब प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है। यह कि यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नही हो सकेगी तथा प्रार्थी को अनन्य मुकदमे बाजी में उलझना पडेगा। यह कि प्रार्थी का मुकदमा प्रथम दृष्टया सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष मे है। यह कि अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ता फैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञज्ञ अविलम्ब पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजीयात वर्णित मद नं0 1 प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काबिज बना रहने देवे। प्रार्थी की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधी से ऐसा करावे। साथ ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजियात या उसके किसी भी भू भग को कही रहन, बय, बन्धक नही करे । ऐसा न स्वयं करे न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी कम 1 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील बहस एक पक्षीय सुनी गयी। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी को रहन–बेचान करने से रोकने हेतु अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। विवादित आराजियात संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 अनुसार प्रार्थी के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज थी। इस न्यायालय

Scanned by CamScanner

के प्रकरण संख्या 78/2018 अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2018 की पालना में अप्रार्थी क्रम 1 ने विवादित आराजियात में जर्ये पी0डी0आर0 स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवा लिया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपील प्रार्थी द्वारा श्रीमान आर0ए0ए0 महोदय कोटा केम्प बारां के समक्ष की गयी। श्रीमान आर0ए0ए0 महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 19.01.2021 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2018 को अपास्त कर प्रकरण में सभी पक्षकारान को उचित सुनवायी व साक्ष्य का अवसर देकर समस्त रिकार्ड का अवलोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। चूंकि प्रकरण संख्या 78/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त निर्णय से पूर्व प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. **अपूर्णनीय क्षति** : चूंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात पर अप्रार्थी क्रम 1 का नाम दर्ज है। यदि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा भमि का रहन–बेचान, हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील एक पक्षीय, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी क्रम 1 वाके माल रामपुरिया बडोद पटवार मण्डल तिसाया तहसील मांगरोल की खाता संख्या नया 81 पुराना 78 की आराजी खसरा नं0 205 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 206 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 221 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है0 भूमि का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करे, ना ही ऐसा अपने प्रतिनिधि से करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner